राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2018/ 3671-84 जयपुर,दिनांक 15.3.2018

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर।

विषयः– खरीफ सम्वत् 2074 में सूखाग्रस्त जिलों में पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.1(4) आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2017/12930–49 दिनांक 16.11.2017 से आपके जिले के ग्रामों को गम्भीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। यह अधिसूचना अभी दिनांक 15.5.2018 तक प्रभावी है। अभाव सम्वत् 2074 में गम्भीर सूखाग्रस्त घोषित जिलों में पशु शिविर संचालन करने हेतु भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2014 दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानदण्डों के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये पशुओं के संरक्षण हेतु पंजीकृत गौशालाओं को पशु शिविर के रूप में घोषित कर पशु शिविर संचालन करने के लिये राहत सहायता की स्वीकृति जारी करने हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1 अभाव अवधि के दौरान **पशुशिविर के रूप में परिवर्तित गौशालाएं** लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये पशुओं के लिए अधिसूचना अवधि तक पशुशिविर के रूप में कार्य करेंगी।

2 **इन गौशालाओं को पशुशिविर घोषित किये जाने के उपरान्त ही** केवल अभाव अवधि में बढ़े हुए पशुओं (लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये) हेतु ही आपदा मोचन निधि से राहत सहायता देय होगी।

3 जिला कलक्टर विभागीय दिशा–निर्देश जारी होने के पश्चात् अभाव अवधि तक एस.डी.आर. एफ. नॉर्म्स के अनुसार पशुशिविर के रूप में परिवर्तित/घोषित गौशालाओं के प्रस्तावों की ही राहत सहायता स्वीकृत करेंगे, ऑफ लाईन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

4 इस प्रक्रिया के तहत घोषित पशुशिविर संचालकों द्वारा राहत सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए **"www.sso.rajasthan.in"** पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् विभागीय एप्लीकेशन **"dmrd"** के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।